

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्या: 39/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00154)

निर्णय दिनांक:- 3-1-2024

1. केशर कंवर पत्नी गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी दावा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांट-

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

-रेस्पोंडेन्ट-

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22-08-2019
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थित:-

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 22-08-2019 जिसके माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से विधि विरुद्ध तरीके से रास्ता स्वीकृत किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम दावा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 287 रकबा 6.37 हेक्टर, खसरा नम्बर 297 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.73 हेक्टर कुल रकबा 7.12 हेक्टर भूमि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निहित है। अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि के खेत खसरा नम्बर 287 रकबा 6.37 हेक्टर भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। जबकि ग्रामवासियों को आवागमन हेतु पूर्व से अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के प्रचलित नियमों के विपरीत जाकर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश प्रसारित करने से पूर्व किसी भी काश्तकार को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।



उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ना ही पड़ोसियों के कोई बयान लिये गये ना ही रिबिटल में कुछ भी कहने का कोई अवसर प्रदान किया गया। केवल मात्र रास्ता कायम करने के उद्देश्य मात्र से तमाम कार्यवाही की गई है। नियमानुसार किसी की भी खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम किया जाता है तो उस खातेदार को क्षतिपूर्ति दी जानी आवश्यक है क्योंकि उसकी खातेदारी भूमि कम की जा रही होती है। ऐसी स्थिति में खातेदार अर्थात भूमिधारक को आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे खातेदारी भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व खातेदार की सहमति/असहमति लिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि वादगत भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती है प्रकरण की वास्तविक स्थिति अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है अदालत मातहत द्वारा ऐसा न

करके न्याय की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना किसी आधार के व बिना किसी जॉच के बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये आनन-फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त किया जावे।



विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियांद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः प्रार्थी का मियांद प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने सर्वप्रथम मियांद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-08-2019 के विरुद्ध अपील दिनांक 06-10-2020 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता की रिपोर्ट के अनुसरण में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है वरन् ग्रामवासियों को आवागमन हेतु सुविधा ही प्रदान होगी। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-08-2019 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

06-10-2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम दावा तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 287 रकबा 6.37 हेक्टर भूमि में से 0.0700 हेक्टर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के तहत जारी गये है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व चकप्लान का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील तहसीलदार, नोखा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसरण में संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10-08-2016 की पालना में किये गये है।

प्रकरण में उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा रास्ते जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में जहाँ एक तरफ तो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया वहीं दूसरी तरफ अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं करते हुए एकतरफा तौर पर रास्ता कायम करने के आदेश पारित किया गया है। परन्तु रास्ता कायम करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त आदेश पारित करने का प्रावधान है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व संबंधित पटवारी हल्का से भी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है, वरन् पटवारी हल्का द्वारा मात्र एक नजरी नक्शा बनाते हुए काश्तकारों की भूमि से रास्ता कायम करने की एक लिस्ट मात्र प्रेषित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अधूरी एवं अपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश अविवेकपूर्ण तथा विधिक प्रावधानों से असंगत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

64/

प्रकरण में गैर मुमकीन रास्ते के संबंध में कोई ठोस सामग्री नहीं, काश्तकार को नोटिस जारी नहीं किया और सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया—किसी काश्तकार ने प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया और स्वतः रास्ता स्वीकृत किया। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं होने आता है।



7. अतः उक्त विवेचना के प्रकाश में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-08-2019 अपीलांट की खातेदारी भूमि की सीमा की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए व मौके पर रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 3/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चाधरी)
राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर